"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 नवम्बर 2010—कार्तिक 25, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दांऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-22/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् बीरगांव, जिला-रायपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		05	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		09	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		10	हरि ठाकुर वार्ड
		20	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	04	महात्मा गांधी वार्ड
		19	संत रविदास वार्ड
		23	शहीद वीर नारायण वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	24	ठाकुर प्यारेलाल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	11	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	शहीद कौशल वार्ड
		08	गोवर्धन वार्ड
		12	पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड
		27	शहीद चंद्रशेखर वार्ड
		33	माता कर्मा वार्ड
		34	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	06	राजीव गांधी वार्ड
		18	पं. सुन्दर लाल शर्मा वार्ड
		30	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	वीर भामाशाह वार्ड
		15	मां शीतला वार्ड
		16	संत कबीर वार्ड
		29	सुभाष चंद्र वार्ड
		32	मिनीमाता वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-1-22/18/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-22/18/2010 दिनांक 16-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Raipur, the 16th November 2010

NOTIFICATION

No. F-1-22/18/2010.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Beergaon, Distt. Raipur is published as required under Rules 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh

Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	02	Dr. Rajendra Prasad Ward
		05	Swami Vivekanand Ward
		09	Rani Laxmi Bai Ward
		10	Hari Thakur Ward
		20	Dr. Radhakrishnan Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	04	Mahatma Gandhi Ward
		19	Sant Ravidas Ward
		23	Shaheed Veer Narayan Ward
3.	Scheduled Tribes	24	Thakur Pyarelal Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	11	Lal Bahadur Shastri Ward
5.	Other Backward Class	07	Shaheed Kaushal Ward
		08	Govardhan Ward
		12	Pt. Ravishankar Shukla Ward
		27	Shaheed Chandrashekhar Ward
		33	Mata Karma Ward
		34	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	06	Rajiv Gandhi Ward
		18	Pt. Sundarlal Sharma Ward
		30	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
7.	Female	03	Veer Bhamashah Ward
		15	Maa Sheetla Ward
		16	Sant Kabeer Ward
		29	Subhash Chandra Ward
		32	Minimata Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.